



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 399]

No. 399]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, अगस्त 2, 2001/श्रावण 11, 1923
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 2, 2001/SRAVANA 11, 1923

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2001

सा.का.नि. 576 (अ).— पासपोर्ट अधिनियम, 1967(1967 का 15) की धारा 24 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार पासपोर्ट नियमावली, 1980 को संशोधित करने लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत :-

1. (1) इन नियमों को नियम पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2001 कहा जाएगा।
(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त हो जायेंगे।
2. पासपोर्ट नियमावली 1980 की अनुसूची I में :-

(i) क्र.सं. 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्र. सं. और प्रविष्टियाँ की जाएंगी, नामत :-

3. (क) क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, दिल्ली)	दिल्ली और हरियाणा राज्य के गुडगांव, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर और रोहतक जिले
(ख) सहायक पासपोर्ट अधिकारी (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय दिल्ली)	वही
(ग) जन संपर्क अधिकारी (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय दिल्ली)	वही
(घ) अधीक्षक (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय दिल्ली)	वही

(ii) क्रम सं. 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियाँ की जाएंगी, नामत :-

4. (क) क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी
(क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय चंडीगढ़)

पंजाब राज्य के भटिंडा, फरीदकोट, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, फिरोजपुर पटियाला, मोगा, मुक्तसर मनसा, संगरूर और रोपर, हरियाणा राज्य में अंबाला, भिवानी, हिसार, जिंद, करनाल सिरसा, कैथल, रिवाड़ी, कुरुक्षेत्र, महेन्द्रगढ़, पानीपत, यमुनागर, पंचकुला और फतेहाबाद, हिमाचल प्रदेश राज्य और चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र के सभी जिले ।

- (ग) जन सम्पर्क अधिकारी
(क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय चण्डीगढ़)
- (घ) अधीक्षक
(क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय चण्डीगढ़)

तथैव

तथैव

- (iii) क्रम संख्या 5 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियाँ रखी जाएं । यथा :

“5”

- (क) क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी
(क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, चेन्नई)

चेन्नई, विंगेलपुर (पू) कांचिपुरम वेल्लूर, थिरुवनामलाई, इरोड, कोयम्बटूर (शहर) कोयम्बटूर (आर), सेलम (शहर), सेलम (आर), नमककाल, कुड्डालोर, विलूपरम, धर्मपुरी, नीलगिरी, कराईकाल, तमिलनाडू राज्य का थिरुवल्लूर जिला और संघ राज्य क्षेत्र पांडिचुरी ।

- (ख) सहायक पासपोर्ट अधिकारी
(क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय चेन्नई)

तथैव

- (ग) जन सम्पर्क अधिकारी
(क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय चेन्नई)

तथैव

- (घ) अधीक्षक
(क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय चेन्नई)

तथैव

- (iv) क्रम संख्या 6 (I) तथा (II) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियाँ रखी जाएं । यथा :

“6” (i)

- (क) क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी
(क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय कोचीन)

केरल राज्य के अलघूजुहा, कोट्टायम, इडुकी, थिसूर, एर्नाकुलम शहर तथा संघ राज्य क्षेत्र लक्षदीव

- (ख) सहायक पासपोर्ट अधिकारी
(क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय कोचीन)

तथैव

- (ग) जन सम्पर्क अधिकारी
(क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय कोचीन) तथैव
- (घ) अधीक्षक
(क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय कोचीन) तथैव
6. (ii) पासपोर्ट अधिकारी
(पासपोर्ट कार्यालय कोजिकोड) केरल राज्य के पालघाट, मलायपुरम वायान्ड, कोजिकोड, कन्नूर, कासरागाड शहर।

(v) क्रम सं. 7 (ए) और 7 (बी) तथा इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां की जाएं, नामतः

7. (क) क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी
(क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय मुम्बई) दादर और नागर हवेली तथा दमन संघ शासित प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य के मुम्बई रत्नगिरी, सिंघुदुर्ग, औरंगाबाद और बीड़ के जिले।
- (ख) सहायक पासपोर्ट अधिकारी
(क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय मुम्बई) वही
- (ग) जन सम्पर्क अधिकारी
(क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय मुम्बई) वही
- (घ) अधीक्षक
(क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय मुम्बई) वही
7. (ख)
(क) पासपोर्ट अधिकारी
(पासपोर्ट कार्यालय नागपुर) महाराष्ट्र राज्य के अमरावती, अकोला, भण्डारा, बुलधाना, चन्द्रपुर, लातूर, हिंगोली, गडचिरोली, गोंदिया, जालना, नागपुर (शहरी), नागपुर (ग्रामीण), नानदेद, उस्मानाबाद, परमानी, वासिम वेधा, यावतमल जिले और भिलाई इस्पात संयंत्र।
- (ख) सहायक पासपोर्ट अधिकारी
(पासपोर्ट कार्यालय नागपुर) वही
- (ग) जन सम्पर्क अधिकारी
(पासपोर्ट कार्यालय नागपुर) वही
- (घ) अधीक्षक
(पासपोर्ट कार्यालय नागपुर) वही

(vi) क्रम सं. 8 (ii) और उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां की जाएं, नामतः

8 (ii).

(क) पासपोर्ट अधिकारी
(पासपोर्ट कार्यालय बरेली)

उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली, बदायूं, एटा बिजनौर मुरादाबाद, रामपुर, पिलीभीत, शाहजहांपुर, मैनपुरी, फिरोजाबाद और ज्योतिबा फूल नगर जिले और उत्तरांचल राज्य में पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, चम्पावत, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, बागेश्वर, चमौली, रुद्र प्रयाग, उद्यम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून जिले । नैनीताल

(ख) जन सम्पर्क अधिकारी
(पासपोर्ट कार्यालय बरेली)

वही

(ग) अधीक्षक
(पासपोर्ट कार्यालय बरेली)

वही

(vii) क्रम संख्या 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ की जाएंगी, नामतः

9.

(क) पासपोर्ट अधिकारी
(पासपोर्ट कार्यालय हैदराबाद)

आन्ध्र प्रदेश राज्य के आदिलाबाद, जिजामाबाद, मेदाक, कर्शमनगर, वारंगल, खम्माम, रंगा रेड्डी हैदराबाद, कुरनूल, महबूब नगर, गुन्टूर, कृष्णा, प्रकाशम्, अनन्तपुर, नेल्लोर, नलगोन्डा, कुड्डलफ्ता चितौड़, सिकन्दराबाद जिले ।

(ख) सहायक पासपोर्ट अधिकारी
(पासपोर्ट कार्यालय हैदराबाद)

वही

(ख) जन सम्पर्क अधिकारी
(पासपोर्ट कार्यालय हैदराबाद)

वही

(ग) अधीक्षक
(पासपोर्ट कार्यालय हैदराबाद)

वही

(viii) क्रम संख्या 12 और उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ की जाएंगी, नामतः

12.

(क) पासपोर्ट अधिकारी
(पासपोर्ट कार्यालय, भोपाल)

मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य

(ख) जन सम्पर्क अधिकारी
(पासपोर्ट कार्यालय भोपाल)

वही

(ग) अधीक्षक
(पासपोर्ट कार्यालय भोपाल)

वही

(ix) क्रम संख्या 14 और उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां की जाएंगी, नामतः

14. (क) पासपोर्ट अधिकारी
(पासपोर्ट कार्यालय, पटना)

बिहार तथा झारखण्ड राज्य

(ख) जन सम्पर्क अधिकारी
(पासपोर्ट कार्यालय, पटना)

वही

(ग) अधीक्षक
(पासपोर्ट कार्यालय पटना)

वही

(घ) अधीक्षक
(पासपोर्ट कार्यालय, पटना)

वही

(x) क्रम संख्या 16 में मद (i) और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां की जाएंगी, नामतः

16. (क) पासपोर्ट अधिकारी
(पासपोर्ट कार्यालय, जम्मू)

जम्मू और कश्मीर राज्य में जम्मू, पूंछ, कथुआ
डोडा, राजोरी, उद्यमपुर जिले ।

(ख) सहायक पासपोर्ट अधिकारी
(पासपोर्ट कार्यालय जम्मू)

वही

(ग) जन सम्पर्क अधिकारी
(पासपोर्ट कार्यालय जम्मू)

वही

(घ) अधीक्षक
(पासपोर्ट कार्यालय जम्मू)

वही

(xi) क्रम संख्या 18 से 21 और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां की जाएंगी, नामतः

18. (क) पासपोर्ट अधिकारी
(पासपोर्ट कार्यालय, जालंधर)

पंजाब राज्य में जालंधर, कपूरथला, अमृतसर,
गुरुदासपुर, नवांशहर, होशियारपुर के जिले ।

(ख) सहायक पासपोर्ट अधिकारी
(पासपोर्ट कार्यालय जालंधर)

वही

(ग) जन सम्पर्क अधिकारी
(पासपोर्ट कार्यालय जालंधर)

वही

(घ) अधीक्षक
(पासपोर्ट कार्यालय जालंधर)

वही

19. (क) पासपोर्ट अधिकारी
(पासपोर्ट कार्यालय, गाजियाबाद) उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा, मथुरा, अलीगढ़ बुलन्दशहर, मेरठ, मुजफ्फरपुर, गाजियाबाद, हाथरस, और गौतम बुद्धनगर के जिले ।
- (ख) सहायक पासपोर्ट अधिकारी
(पासपोर्ट कार्यालय गाजियाबाद) वही
- (ग) जन सम्पर्क अधिकारी
(पासपोर्ट कार्यालय गाजियाबाद) वही
- (घ) अधीक्षक
(पासपोर्ट कार्यालय गाजियाबाद) वही
20. (क) पासपोर्ट अधिकारी
(पासपोर्ट कार्यालय, पुणे) महाराष्ट्र राज्य के पुणे, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, अहमदनगर और शोलापुर के जिले ।
- (ख) सहायक पासपोर्ट अधिकारी
(पासपोर्ट कार्यालय पुणे) वही
- (ग) जन सम्पर्क अधिकारी
(पासपोर्ट कार्यालय पुणे) वही
- (घ) अधीक्षक
(पासपोर्ट कार्यालय पुणे) वही
21. (क) पासपोर्ट अधिकारी
(पासपोर्ट कार्यालय थाणे) महाराष्ट्र राज्य में धुले, जलगांव, नासिक, नवी, मुम्बई, रायगढ़, थाणे, नन्दरबार के जिले ।
- (ख) जन सम्पर्क अधिकारी
(पासपोर्ट कार्यालय थाणे) वही
- (ग) अधीक्षक
(पासपोर्ट कार्यालय थाणे) वही
22. (क) पासपोर्ट अधिकारी
(पासपोर्ट कार्यालय, श्रीनगर) जम्मू और कश्मीर राज्य के श्रीनगर, अनन्तनाग, बारामूला, बडगांव, कारगिल, कुपवाडा, लदाख और पुलवामा के जिले ।
- (ख) अधीक्षक
(पासपोर्ट कार्यालय श्रीनगर) वही
23. (क) पासपोर्ट अधिकारी
(पासपोर्ट कार्यालय तिरुचिरापल्ली) तमिलानाडु राज्य में त्रिची, थानेजपुर, नागापत्रिनाम, कन्याकुमारी, रामनाद, (रमानायपुरम) तिरुवरूर, पड्डुकोट्टई, शिवांगंगाई, मदुरै, तिरुनवेल्ली, विरुद्धनागा, पेराम्बलुर, तूतीकोरिन, थूथूकुड्डीकरूर, डिड्डुगल और चेनी जिले ।

- | | |
|--|--|
| (ख) जन सम्पर्क अधिकारी
(पासपोर्ट कार्यालय तिरुचिरापल्ली) | वही |
| (ग) अधीक्षक
(पासपोर्ट कार्यालय तिरुचिरापल्ली) | वही |
| 24. | |
| (क) पासपोर्ट अधिकारी
(पासपोर्ट कार्यालय, विशाखापट्टनम) | आन्ध्र प्रदेश के गोदावरी (पश्चिम), गोदावरी (पूर्व) श्रीकाकुलम, विजीनागरम, और विशाखापट्टनम जिले । |
| (ख) सहायक पासपोर्ट अधिकारी
(पासपोर्ट कार्यालय विशाखापट्टनम) | वही |
| (ग) जन सम्पर्क अधिकारी
(पासपोर्ट कार्यालय विशाखापट्टनम) | वही |
| (घ) अधीक्षक
(पासपोर्ट कार्यालय विशाखापट्टनम) | वही |
| 25. | |
| (क) महानिदेशक
भारत ताईपेई संघ, ताईवान | ताईवान |
| (ख) उप महानिदेशक
भारत ताईपेई संघ, ताईवान | वही |
| (ग) सहायक निदेशक
भारत ताईपेई संघ, ताईवान | वही |
| 26. | |
| (क) मुख्य सचिव
अण्डमान निकोबार प्रशासन
पोर्ट ब्लेयर | अण्डमान और निकोबार द्वीप का संघ
शासित प्रदेश |
| (ख) सचिव (पासपोर्ट)
अण्डमान निकोबार प्रशासन | वही |
| (ग) उप आयुक्त
अण्डमान जिला, पोर्ट ब्लेयर | वही |
| (घ) सहायक सचिव (पासपोर्ट)
अण्डमान निकोबार प्रशासन
पोर्ट ब्लेयर | वही |
| 27 | |
| (क) विदेशों में भारतीय मिशन या केन्द्रों
में कौंसली अधिकारी या कौंसली
एजेन्ट | सम्बद्ध भारतीय मिशन या केन्द्र के कौंसली
क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत क्षेत्र । |

28.

(क) संयुक्त सचिव (कौंसली
पासपोर्ट वीजा) और
मुख्य पासपोर्ट अधिकारी

राजनयिक, सरकारी और साधारण पासपोर्ट
के संबंध में सम्पूर्ण भारत

(ख) निदेशक
पासपोर्ट और वीजा प्रभाग
विदेश मंत्रालय नई दिल्ली

वही

(ग) उप सचिव
पासपोर्ट और वीजा प्रभाग
विदेश मंत्रालय नई दिल्ली

वही

(घ) अवर सचिव
पासपोर्ट और वीजा प्रभाग
विदेश मंत्रालय नई दिल्ली

वही

(ङ.) अनुभाग अधिकारी
पासपोर्ट और वीजा प्रभाग
विदेश मंत्रालय नई दिल्ली

वही

29. केन्द्रीय सरकार द्वारा
समय-समय पर नामित
कोई अन्य अधिकारी

केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर
विनिर्दिष्ट क्षेत्र ।

[फा. सं. V.IV/551/20/2000]

एस. आर. तायल, संयुक्त सचिव (सी पी वी)

टिप्पणी : गूल नियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए इसके लिए दिनांक 11.12.1980 का पत्र सं. जी एस आर 691 (ई0) देखें और इसके बाद संशोधित नियम इस प्रकार हैं :-

- (i) जी एस आर 50 (ई) दिनांक 7.2.1981
- (ii) जी एस आर 469 (ई) दिनांक 24.6.1982
- (iii) जी एस आर 325 (ई) दिनांक 12.4.1983
- (iv) जी एस आर 494 (ई) दिनांक 16.6.1983
- (v) जी एस आर 345 (ई) दिनांक 29.3.1985
- (vi) जी एस आर 860 (ई) दिनांक 8.11.1985
- (vii) जी एस आर 857 (ई) दिनांक 13.10.1987
- (viii) जी एस आर 84 (ई) दिनांक 11.2.1988
- (ix) जी एस आर 1155 (ई) दिनांक 21.11.1988
- (x) जी एस आर 622 (ई) दिनांक 27.7.1990
- (xi) जी एस आर 653 (ई) दिनांक 2.7.1990
- (xii) जी एस आर 100 (ई) दिनांक 4.3.1991
- (xiii) जी एस आर 275 (ई) दिनांक 20.3.1991
- (xiv) जी एस आर 586 (ई) दिनांक 21.6.1991
- (xv) जी एस आर 111 (ई) दिनांक 22.1.1991
- (xvi) जी एस आर 684 (ई) दिनांक 15.6.1992
- (xvii) जी एस आर 721 (ई) दिनांक 7.8.1992
- (xviii) जी एस आर 477 (ई) दिनांक 16.6.1993
- (xix) जी एस आर 485 (ई) दिनांक 1.7.1993
- (xx) जी एस आर 503 (ई) दिनांक 10.7.1993 और
- (xxi) जी एस आर 833 (ई) दिनांक 2.12.1994

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2001

G.S.R.576(E).— In exercise of the powers conferred by section 24 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passport Rules, 1980, namely:—

1. (1) These rules may be called the Passport (Amendment) Rules, 2001.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Passport Rules, 1980, in SCHEDULE I:—

(i) for serial number 3 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

- "3.
- | | | |
|-----|--|--|
| (a) | Regional Passport Officer
(Regional Passport Office, Delhi) | Delhi & the districts
of Gurgaon, Faridabad
Sonepat, Jhajjar &
Rohtak in the State
of Haryana. |
| (b) | Asstt. Passport Officer
(Regional Passport Office, Delhi) | Ditto |
| (c) | Public Relation Officer
(Regional passport Office, Delhi) | Ditto |
| (d) | Superintendent
(Regional Passport Office, Delhi) | Ditto." |

(ii) for serial number 4 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

- "4.
- | | | |
|-----|--|--|
| (a) | Regional Passport Officer
(Regional Passport Office,
Chandigarh) | The districts of Bhatinda,
Faridkot, Ludhiana, Fategarh Sahib,
Ferozpur, Patiala, Moga, Mukatsar,
Mansa, Sangrur and Ropar in the
State of Punjab, the districts of
Ambala, Bhiwani, Hissar, Jind, Karnal
Sirsa, Kaithal, Rewari, Kurukshetra,
Mohindergarh, Panipat, Yamunanagar,
Panchkula and Fatehabad in the
State of Haryana, all the
district of the State of Himachal
Pradesh and Union territory of
Chandigarh. |
|-----|--|--|

- (b) Public Relation Officer
(Regional Passport Office, Chandigarh) Ditto
- (c) Superintendent
(Regional Passport Office, Chandigarh) Ditto." ;

 (iii) for serial number 5 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

"5.

- (a) Regional Passport Officer,
(Regional Passport Office, Chennai)
Chennai) The districts of Chennai, Chingelput(E), Kanchipuram, Vellore, Thiruvannmalai, Erode, Coimbatore(Urban), Coimbatore(R), Salem(Urban), Salem(R), Namakkal, Cuddalore, Villupuram, Dharmapuri, Nilgiris, Karaikkal, Thiruvallur of the State of TamilNadu and Union territory of Pondicherry.
- (b) Assistant Passport Officer,
(Regional Passport Office, Chennai) Ditto
- (c) Public Relation Officer,
(Regional Passport Office, Chennai) Ditto
- (d) Superintendent,
(Regional Passport Office, Chennai) Ditto." ;

 (iv) for serial numbers 6(i) and 6(ii) and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall respectively be substituted, namely:-

"6(i)

- (a) Regional Passport Officer,
(Regional Passport Office, Cochin)
Cochin) The districts of Alappuzha, Kottayam, Idukki, Thrissur, Ernakulam of the State of Kerala and Union territory of Lakshadweep.
- (b) Assistant Passport officer,
(Regional Passport Office, Cochin) Ditto
- (c) Public Relation Officer,
(Regional Passport Office, Cochin) Ditto
- (d) Superintendent,
(Regional Passport Office, Cochin) Ditto

6(ii).

- Passport Officer,
(Passport Office, Kozhikode) The districts of Palakkad, Malappuram, Wayanad, Kozhikode, Kannaur, Kasargod of the State of Kerala." ;

(v) for serial numbers 7(A) and 7(B) and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall respectively be substituted, namely:-

"7(A).

- | | | |
|-----|---|--|
| (a) | Regional Passport Officer,
(Regional Passport Office,
Mumbai) | The Union territory of Dadra &
Nagar Haveli and Daman and the
districts of Mumbai, Ratnagiri,
Sindhudurg, Aurangabad & Beed of
the State of Maharashtra. |
| (b) | Assistant Passport Officer,
(Regional Passport Office, Mumbai) | Ditto |
| (c) | Public Relation Officer,
(Regional Passport Office, Mumbai) | Ditto |
| (d) | Superintendent,
(Regional Passport Office, Mumbai) | Ditto. |

7(B).

- | | | |
|-----|--|--|
| (a) | Passport Officer,
(Passport Office, Nagpur) | The districts of Amravati
Akola, Bhandara, Buldhana,
Chadrapur, Latur, Hingoli,
Gadchiroli, Gondia,
Jalna, Nagpur (Urban),
Nagpur (Rural), Nanded,
Osmanabad, Parbhani, Washim
Waydha, Yavatmal of the
State of Maharashtra and
Bhilai Steel Plant. |
| (b) | Assistant Passport Officer,
(Passport Office, Nagpur) | Ditto |
| (c) | Public Relation Officer,
(Passport Office, Nagpur) | Ditto |
| (d) | Superintendent,
(Passport Office, Nagpur) | Ditto."; |

(vi) for serial number 8(ii) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

"8(ii)

- | | | |
|-----|---|--|
| (a) | Passport Officer,
(Passport Office, Bareilly) | The districts of Bareilly, Budaun,
Etah, Bijnor, Moradabad, Rampur
Pilibhit, Shahjahanpur, Mainpuri,
Firozabad and Jyotiba Phule Nagar
in the State of Uttar Pradesh and
the districts of Pithoragarh,
Pouri Garhwal, Almora, Champawat,
Uttarkashi, Tehri Garhwal, Bageshwar
Chamoli, Rudra Prayag, Udhm Singh
Nagar, Haridwar, Nainital and
Dehradun in the State of
Uttaranchal. |
| (b) | Public Relation Officer,
(Passport Office, Bareilly) | Ditto |

- (c) Superintendent, (Passport Office, Bareilly) Ditto." :

(vii) for serial number 9 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

- "9.
- | | | |
|-----|---|---|
| (a) | Passport Officer,
(Passport Office, Hyderabad) | The districts of Adilabad, Nizamabad, Medak, Karimnagar, Warangal, Khammam, Ranga Reddy, Hyderabad, Kurnool, Mahabubnagar, Guntur, Krishna, Parkasam, Ananthapur, Nellore, Nalgonda, Cuddapah, Chittoor, Secunderabad in the State of Andhra Pradesh. |
| (b) | Assistant Passport Officer,
(Passport Office, Hyderabad) | Ditto |
| (c) | Public Relation Officer,
(Passport Office, Hyderabad) | Ditto |
| (d) | Superintendent,
(Passport Office, Hyderabad) | Ditto." ; |

(viii) for serial number 12 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

- "12.
- | | | |
|-----|---|---|
| (a) | Passport Officer,
(Passport Office, Bhopal) | The States of Madhya Pradesh & Chhatisgarh. |
| (b) | Public Relation Officer,
(Passport Office, Bhopal) | Ditto |
| (c) | Superintendent,
(Passport Office, Bhopal) | Ditto." : |

(ix) for serial number 14 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

- "14.
- | | | |
|-----|---|------------------------------------|
| (a) | Passport Officer,
(Passport Office, Patna) | The States of Bihar and Jharkhand. |
| (b) | Assistant Passport Officer,
(Passport Office, Patna) | Ditto |
| (c) | Public Relation Officer,
(Passport Office, Patna) | Ditto |
| (d) | Superintendent,
(Passport Office, Patna) | Ditto." : |

(x) in serial number 16, for item (i) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:—

- 16(1).
- | | | |
|-----|---|--|
| (a) | Passport Officer,
(Passport Office, Jammu) | The districts of Jammu, Poonch, Kathua, Doda, Rajouri, Udhampur in the State of Jammu & Kashmir. |
| (b) | Assistant Passport Officer,
(Passport Office, Jammu) | Ditto |
| (c) | Public Relation Officer,
(Passport Office, Jammu) | Ditto |
| (d) | Superintendent,
(Passport Office, Jammu) | Ditto. |

(xi) for serial numbers 18 to 21 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

- 18.
- | | | |
|-----|---|---|
| (a) | Passport Officer,
(Passport Office, Jalandhar) | The districts of Jalandhar, Kapurthala, Amritsar, Gurdaspur, Nawanshahr, Hoshiarpur in the State of Punjab. |
| (b) | Assistant Passport Officer,
(Passport Office, Jalandhar) | Ditto |
| (c) | Public Relation Officer,
(Passport Office, Jalandhar) | Ditto |
| (d) | Superintendent,
(Passport Office, Jalandhar) | Ditto. |
- 19.
- | | | |
|-----|---|---|
| (a) | Passport Officer,
(Passport Office, Ghaziabad) | The districts of Agra, Mathura, Aligarh, Bulandshahr Meerut, Muzaffarnagar, Bagpat, Saharanpur, Ghaziabad, Hathras and Gautam Budh Nagar in the State of Uttar Pradesh. |
| (b) | Assistant Passport Officer,
(Passport Office, Ghaziabad) | Ditto |
| (c) | Public Relation Officer,
(Passport Office, Ghaziabad) | Ditto |
| (d) | Superintendent,
(Passport Office, Ghaziabad) | Ditto |
- 20.
- | | | |
|-----|--|---|
| (a) | Passport Officer,
(Passport Office, Pune) | The districts of Pune, Satara, Sangli, Kolhapur, Ahmadnagar and Sholapur in the State of Maharashtra. |
|-----|--|---|

- (b) Assistant Passport Officer, (Passport Office, Pune) Ditto
- (c) Public Relation Officer, (Passport Office, Pune) Ditto
- (d) Superintendent, (Passport Office, Pune) Ditto.
- 21.
- (a) Passport Officer, (Passport Office, Thane) The districts of Dhule, Jalgaon, Nasik, Navi Mumbai, Raigad, Thane, Nandurbar in the State of Maharashtra.
- (b) Public Relation Officer, (Passport Office, Thane) Ditto
- (c) Superintendent, (Passport Office, Thane) Ditto."
- 22.
- (a) Passport Officer, (Passport Office, Srinagar) The districts of Srinagar, Anantnag, Baramulla, Budgam, Kargil, Kupwara, Laddakh and Pulwama in the State of Jammu & Kashmir.
- (b) Superintendent, (Passport Office, Srinagar) Ditto
- 23.
- (a) Passport Officer, (Passport Office, Tiruchirappalli) The districts of Trichy, Thanjavur, Nagapattinam, Kanyakumari, Ramnad (Ramanathapuram), Thiruvarur, Pudukkottai, Sivagangai, Madurai, Tirunelveli, Virudhunaga, Perambalur, Tuticorin (Thoothukudi), Karur, Dindugal and Theni in the State of Tamil Nadu.
- (b) Public Relation Officer, (Passport Office, Tiruchirappalli) Ditto
- (c) Superintendent, (Passport Office, Tiruchirappalli) Ditto
- 24.
- (a) Passport Officer, (Passport Office, Visakhapatnam) The districts of Godawari (West), Godawari (East), Srikakulam, Vizianagaram and Visakhapatnam in the State of Andhra Pradesh.
- (b) Public Relation Officer, (Passport Office, Visakhapatnam) Ditto
- (c) Superintendent, (Passport Office, Visakhapatnam) Ditto

- 25.
- (a) Director General,
India Taipei Association, Taiwan Taiwan
- (b) Deputy Director General,
India Taipei Association, Taiwan Ditto
- (c) Assistant Director,
India Taipei Association, Taiwan Ditto
- 26.
- (a) Chief Secretary, Union territory of Andaman
Andaman Nicobar Administration, and Nicobar Islands.
Port Blair.
- (b) Secretary(Passport), Ditto
Andaman Nicobar Administration,
Port Blair.
- (c) Deputy Commissioner, Ditto
Andaman District, Port Blair.
- (d) Assistant Secretary(Passports), Ditto
Andaman Nicobar Administration,
Port Blair.
- 27.
- Consular Officer or Consular Agents The area within the
in the Indian Mission or Posts consular jurisdiction
outside India. of the Indian Mission
or Posts concerned.
- 28.
- (a) Joint Secretary (Consular Whole of India in respect
Passport Visa) and Chief of diplomatic, official
Passport Officer and ordinary passports.
- (b) Director, Ditto
Passport and Visa Division,
Ministry of External Affairs,
New Delhi.
- (c) Deputy Secretary, Ditto
Passport and Visa Division,
Ministry of External Affairs,
New Delhi.
- (d) Under Secretary, Ditto
Passport and Visa Division,
Ministry of External Affairs,
New Delhi.
- (e) Section Officer, Ditto
Passport and Visa Division,
Ministry of External Affairs,
New Delhi.

29.

Any other Officer as Area to be specified by the
may be designated by Central Government from time
the Central Government to time."
from time to time.

[F.No. V.IV/551/20/2000]

S. R. TAYAL, Jt. Secy (CPV)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India *vide* number GSR 691(E), dated the 11th December, 1980 and subsequently amended *vide* :—

- (i) GSR 50(E), dated 7.2.1981;
- (ii) GSR 469(E), dated 24.6.1982;
- (iii) GSR 325(E), dated 12.4.1983;
- (iv) GSR 494(E), dated 16.6.1983;
- (v) GSR 345(E), dated 29.3.1985;
- (vi) GSR 860(E), dated 8.11.1985;
- (vii) GSR 857(E), dated 13.10.1987;
- (viii) GSR 84(E), dated 11.2.1988;
- (ix) GSR 1155(E), dated 21.11.1988;
- (x) GSR 622(E), dated 27.7.1990;
- (xi) GSR 653(E), dated 2.7.1990;
- (xii) GSR 100(E), dated 4.3.1991;
- (xiii) GSR 275(E), dated 20.3.1991;
- (xiv) GSR 586(E), dated 21.6.1991;
- (xv) GSR 111(E), dated 22.1.1992;
- (xvi) GSR 684(E), dated 15.6.1992;
- (xvii) GSR 721(E), dated 7.8.1992;
- (xviii) GSR 477(E), dated 16.6.1993;
- (xix) GSR 485(E), dated 1.7.1993;
- (xx) GSR 503(E), dated 10.7.1993; and
- (xxi) GSR 833(E), dated 2.12.1994.

24/01/2000-3